



श्रीमती वसुंधरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान



राजस्थान सरकार

भामाशाह योजना

राज्य के सभी व्यक्तियों की समृद्धि, खुशहाली एवं विकास हेतु भामाशाह योजना के माध्यम से सभी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ की योजनाओं के लाभ/सहायता वास्तविक हकदार व्यक्ति को बैंक खाते के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत राज्य के सभी आयु के समस्त नागरिकों का नामांकन करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

भामाशाह नामांकन योजना के उद्देश्य :-

1. परिवार आधारित योजनाओं के लाभ महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा करना।
2. लाभार्थी को देय लाभ/सहायता सुगमता एवं शीघ्रता से उपलब्ध करवाना।
3. शून्य बैलेंस पर बैंक खाता खोलना।
4. राज्य के निवासियों को परिवार पहचान कार्ड उपलब्ध करवाना।

शिविर में जनसामान्य हेतु मुख्यतः निम्न कार्य किए जाएंगे-

1. आधार नामांकन
2. भामाशाह नामांकन
3. बैंक में खाता खोलना
4. बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ना
5. त्रुटिपूर्ण राशन कार्डों का सत्यापन व संग्रहण
6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन

हैल्प लाइन
1800 180 6127

आपकी ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड में भामाशाह नामांकन शिविर दिनांक.....से.....तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें आप नामांकन के लिए निम्न दस्तावेज जो भी उपलब्ध है, लेकर पधारें:-

- राशन कार्ड
- आधार पहचान पत्र
- गैस कनेक्शन पास-बुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- बैंक/पोस्ट ऑफिस पास-बुक
- जाति प्रमाण पत्र
- नरेगा जॉब कार्ड
- बिजली/पानी/टेलिफोन बिल
- पेन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- ड्राईविंग लाईसेन्स
- अन्य कोई फोटो पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- प्राधिकृत अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, निवास व पहचान के अन्य मान्य दस्तावेज।

नोट:- भामाशाह नामांकन अभियान की अवधि के दौरान पंचायत समिति पर स्थित राजसंपर्क आई.टी. केन्द्र पर स्थाई नामांकन शिविर कार्यरत रहेंगे।

नामांकन शिविर के सम्बन्ध में विशेष जानकारियाँ

- नामांकन परिवार आधारित हैं अतः परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर आवें। शिविर अवधि में किसी कारणवश अनुपस्थित सदस्य का नामांकन बाद में भी करवाया जा सकता है।
- परिवार की महिला मुखिया का एकल खाता (परिवार का बैंक खाता) होना/खुलवाना अनिवार्य है। बैंक खाता खुलवाने हेतु कोई राशि जमा नहीं करानी होगी।
- नामांकन केन्द्रों पर ई-आधार के प्रिन्ट की सुविधा भी निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी।
- भामाशाह नामांकन हेतु दी गई सूचनाओं से सम्बन्धित मूल दस्तावेज व उनकी छाया प्रति लेकर शिविर में आवें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:-

जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिला परिषद, उप/सहायक निदेशक-आर्थिक एवं सांख्यिकी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, शहरी निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव- ग्राम पंचायत एवं पटवारी।

सभी नागरिकगण शिविर में पधार कर अपना नामांकन करावें तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

आयोजना विभाग, राजस्थान

1938-39

20/1/38

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

...

...

...

क्र. भागशाह/योजना/वर्ग/वर्ष/2015/1950

भागशाह शिबिर कार्यक्रम

दिनांक:- 30/4/15

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर भागशाह प्रबंधक नगर निगम, जोधपुर

जिला भागशाह प्रबंधक एवं जिला कलक्टर जोधपुर के निर्देशानुसार रावस्थान जन कल्याण एवं राजकीय सेवाओं के लाभ को प्रभावी विवरण हेतु भागशाह योजना अन्तर्गत सभी सामान्य निवासियों को भागशाह नगरिकेन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु बाई वार्ड वार्ड प्रोकेम का आयोजन निम्नानुसार संघर्षित किया जायेगा। प्रोकेम में जिन महिला मुख्याओं का पूर्व में बैंक खाता नहीं है उनको बैंक खाता खोलने को सुविधा प्रदान की जायेगी तथा प्रोकेम में आधार नामांकन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

(शहर विधान सभा क्षेत्र के बाई)

क्र.सं.	शिविर दिनांक	वार्ड संख्या	शिविर स्थल	प्रभारी अधिकारी	सह प्रभारी अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती)	समय	घरों स्थिति / सहायक या अनुपस्थिति के नाम	विशेष विवरण
1	05.05.2015	30 व 40	य. जॉन ड.म. विद्यालय मौलपुरा पुलिसवा संवर्दी गेट	जो न आसुक्त, नगर निगम, जोधपुर	आधिषारी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक	श्रीमति मनु कंडाता 9829128869	सम्बन्धित संफाई निरीक्षक निर्धारित शिबिर स्थानों का शिबिर तिथि से पूर्व निरीक्षण कर भवन व्यवस्थापकों से सम्पर्क कर भवन उपलब्धता व फर्निचर एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3	06.05.2015	41	अपराजित काम्युनिटी हॉल पार्क पुरानेसे	जो न आसुक्त, नगर निगम, जोधपुर	आधिषारी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक	श्री प्रदीप खेनवाल पार्क 9772385103	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भागशाह प्रबंधक,
नगर निगम, जोधपुर

क्रमंक :- भामाशाह/योजना/ननि/जोध/2014/1956-1961

दिनांक :- 30/4/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं प्रेषित है :-

- 1 माननीय महामौर/उपमहामौर नगर निगम, जोधपुर ।
- 2 जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, जोधपुर।
- 3 उपखण्ड अधिकारी जोधपुर।
- 4 पुलिस उपाअधुक्ता, जोधपुर/शान्तिधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शिविर कार्यक्रमानुसार पुलिस को व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि शिविर कार्यक्रम में कानून व शान्ति व्यवस्था कायम रहे।
- 5 सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि भामाशाह नामक शिविर का प्रयावी पर्यवेक्षण करते हुए राज्य सरकार के समस्त परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करते हुए समय पर सूचना अथवाहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करायेगे।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/मा.शि., जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित संस्था प्रश्नान को याचन्द करे अथवाहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- 7 उप निर्देशक अर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जोधपुर ।
- 8 लीड बैंक अधिकारी, जोधपुर उक्त शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर स्थल पर आमजन को उपलब्ध करावी जाने वाली बैंकिंग व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करेंगे।
- 9 आर्थ.अधि. (विद्युत), नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- 10 वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में लाईट मार्डक टेन्ट, अल्लाहार एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
- 11 प्रमारी डाटा सौफ्ट जोधपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक:- भागशाह/योजना/वि/बोध/2015/ 1962

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर भागशाह प्रबंधक नगर निगम, बोधपुर

भागशाह शिविर कार्यक्रम

दिनांक:-

जिला भागशाह प्रबंधक एवं जिला कलेक्टर बोधपुर के निर्देशानुसार राबस्थान जन कल्याण एवं राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी वितरण हेतु भागशाह योजना अन्तर्गत सभी सामान्य निवासियों को भागशाह नामांकन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु वार्ड वार्ड प्रोग्राम का आयोजन निम्नानुसार संघटित किया जायेगा। प्रोग्राम में जिन महिला मुख्याओं का पूर्व में बैंक खाता नहीं है उनको बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा प्रोग्राम में आधार नामांकन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

(यत्नपूर्व विधान सभा क्षेत्र के वार्ड)

क्र.सं	शिविर दिनांक	वार्ड संख्या	शिविर स्थल	प्रभारी अधिकारी	सह प्रभारी अधिकारी (सर्वेक्ष/श्रीमती)	घंटे	मार्ग दर्शक / सहायक या अनुपस्थित के नाम	विवरण वितरण
1	7/5/2015	58	जोगगावा चौक आर.टी.ओ के पास बीजेस	जोन आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर	अधिवाशी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से साय 06.00 बजे तक	श्री चैन सिंह ईवा पार्क 9413794449	सम्बन्धित सफाई निरीक्षक निर्धारित शिविर स्थानों का शिविर विधि से पूर्व निरीक्षण कर भवन व्यवस्थापकों से सम्पर्क कर भवन उपलब्धता व फर्निचर एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भागशाह प्रबंधक,
नगर निगम, बोधपुर

क्रमांक :- भामाशाह/योजना/नि/जोष/2014/1962-314

दिनांक :-

प्रतिशिवि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनाएँ प्रेषित है :-

- 1 ग्रामीण महापौर/उपमहापौर नगर निगम, जोधपुर ।
- 2 जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, जोधपुर।
- 3 उपखण्ड अधिकारी जोधपुर।
- 4 पुलिस उपआयुक्त, जोधपुर/शान्तिाधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शिविर कार्यक्रमानुसार पुलिस को व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि शिविर कार्यक्रम में कानून व शान्ति व्यवस्था कायम रहे।
- 5 सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि भामाशाह नामक शिविर का प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए राज्य सरकार के समस्त परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करते हुए समय पर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करायेगी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/मा.शि., जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार विद्यालय को उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- 7 उप निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जोधपुर ।
- 8 लीड बैंक अधिकारी, जोधपुर उक्त शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर स्थल पर आमजन को उपलब्ध करायी जाने वाली बैंकिंग व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करेगी।
- 9 अधि.अभि. (विद्युत), नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
- 10 वरिष्ठ लेखअधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में लाईट मार्केट टेन्ट, अल्ट्रा वॉटर एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
- 11 प्रमोरी डाटा सोफ्ट जोधपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

शिविरा भामाशाह प्रबन्धक एवं शिविर करवावट व जोधपुर के निरीक्षणकार राजस्थान जग करवाण एवं राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी विवरण हेतु भामाशाह योजना अन्तर्गत वर्षीय सामान्य शिविरियों को भामाशाह नामांकन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें इस हेतु वार्ड वार्ड कार्यक्रम का आयोजन निम्नांशुसार संघीय शिविरा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रीकेम से निचन महिला मुळाओं का पूर्व से बिक खाता नहीं है उनके बिक खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा प्रीकेम से आधार नामांकन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

क्र.स	शिबिर दिनांक	वार्ड संख्या	शिबिर स्थल	प्रभारी अधिकारी	सह प्रभारी अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती)	प्राप्ति	पार्स पर्यटक / साहायक या अनुपस्थितों के नाम	विशेष विवरण
1	11.05.2015 से 12.05.2015	20/21 व 22	शाहा रामेश्व मंदिर मयूरवा	जौन आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर	अधिवासी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से साय 06.00 बजे तक	श्री धरतर प्रजापति 9414722394	सम्बन्धित सफाई निरीक्षक निर्धारित शिविर स्थानों का शिविर विधि से पूर्व निरीक्षण कर भवन व्यवस्थापकों से सम्पर्क कर भवन उपलब्धता व फर्निचर एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

दिनांक:- 30/11/15

क्रमांक:- भामाशाह/भोजन/ननि/जोध/2014/1276-386
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यकारी एवं सूचनाई प्रेषित है :-

- 1 माननीय महावीर/उपमहावीर नगर निगम, जोधपुर ।
- 2 जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, जोधपुर।
- 3 उपलाइ अधिकारी जोधपुर।
- 4 पुलिस उपायुक्ता, जोधपुर/धानाधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि शिविर कार्यक्रमानुसार पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि शिविर कार्यक्रम में कानून व शांति व्यवस्था कायम रहे।
- 5 सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि भामाशाह नामक शिविर का प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए राज्य सरकार के समस्त परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करते हुए समय पर सूचना अशोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करायेगे।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी,प्राश/मा.शि., जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द कर अशोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- 7 उप निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जोधपुर ।
- 8 लीड डेक अधिकारी, जोधपुर उक्त शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर स्थल पर आमजन को उपलब्ध करायी जाने वाली वैकिंग व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करेगे।
- 9 अधि,अधि,(विद्युत), नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने को व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
- 10 वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में लाइट मार्डक टेन्ट, अलसहार एवं भेषजाल व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
- 11 प्रमरी डाटा सोफ्ट जोधपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
 नगर निगम,जोधपुर